प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
प्र.इ.रि.स 382/22 दिनांक 24.09.2022
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धाराएं 7, पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं –
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 466 समय 6:15 Pm
(2) अपराध के घटने का दिन शुक्रवार दिनांक 23.09.2022 समय 11.49 ए.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 10.09.2022 समय 02.15 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल :
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 250 किलोमीटर
(2) पता – पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाडा ।
..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
<u>परिवादी</u>
(1) नाम : श्री मोहम्मद आजाद
(2) पिता का नाम : श्री फरीद मोहम्मद
(3) आयु : 38 वर्ष
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(6) व्यवसाय : इलेक्ट्रीशियन एवं प्रोपर्टी व्यवसाय
(7) पता : निवासी सांगानेर जिला भीलवाडा

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
श्री विजय सिंह पुत्र श्री दौलतराम यादव जाति यादव उम्र 47 साल निवासी ग्राम खोहरा, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर हाल निवास स्थान मकान नम्बर 6 एल 29 पटेल नगर पार्क के सामने भीलवाडा हाल ए.एस.आई पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाडा ।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो पृष्ठ अलग से नत्थी करे)
क्रम. सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तु स्थिति:–
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 10000/– रूपये
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट :–

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
चित्तौडगढ ।

विषय : – कानूनी कार्यवाही करने बाबत् ।

महोदय

"उपरोक्त विषय में निवेदन है की मैं मोहम्मद आजाद मंसुरी मेरे दोस्त सदाम हुसैन अंसारी के साथ मिलकर एक मकान चपडासी कॉलोनी में शारदा चौराहा, ग्लोबल स्कूल के पास खरीदा था, उक्त मकान को मैनें पुनः श्रीमती ज्योती नायक को सात लाख पचास हजार रूपये में बेचा था, जिसकी एवज मे मैनें सई पेटे एक लाख रूपये प्राप्त किये थे, तथा शेष राशि सात माह में पट्टा देने के उपरान्त देना तय किया था । इस बाबत् हमारें दोनो के बिच लिखा–पढी भी हुई थी लेकिन पट्टा नही बनने से श्रीमती ज्योती द्वारा पुनः साई की राशि एक लाख रूपये मांगने का तकाजा किया जिस पर मैनें ज्योती को मेरे नाम का एक चेक रूपये एक लाख का बैंक ऑफ बडौदा ग्रामीण शाखा भीलवाडा का दिया था, जिस पर ज्योती ने मुझे चेक लगाने के लिये कहा था तो मैनें ज्योती को कहा के अभी मेरे खाते में पैसें नही है, मैं पैसे आते ही आपको बता दूंगा और आप चेक लगाकर आपके साई के पैसे एक लाख रूपये प्राप्त कर लेना । फिर भी ज्योती ने चेक को बैंक में लगाकर बाउन्स करा दिया और मुझे डराने–धमकाने लगी और पुलिस वालों से फोन लगाने लगी । जिस पर मुझे पुलिस थाना सुभाष नगर जिला भीलवाडा के श्री विजय सिंह ए.एस.आई द्वारा बार–बार फोन करके मुझे थाने पर बुलाया और मुझे कहा कि तेरे खिलाफ रिपोर्ट आई है और मुझे थाने की लॉकप में बन्द कर दिया जो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा , इस दरमियान मेने मेरे मित्र सदाम हुसैन अंसारी को बुलाया और एएसआई श्री विजय सिहं ने मुझ प्रार्थी को दबाव बना कर थाने में मुझ से खाली कागज में लिखवाया की ज्योती को एक लाख रूपये देने और एएसआई विजय सिहं ने यह भी लिखवाया की तीस हजार रूपये मेरे खर्चे के देने है। अन्यथा मुझसे बुरा कोई नही होगा अगर रकम नही चुकाई तो । फिर इस बिच मेने श्री ज्योती नायक को पच्चास हजार रूपये रोकड़ राम स्नेही हॉसपिटल में जाकर देखकर आया और पच्चास हजार रूपये और दे दुगां यह वादा किया लेकिन श्री विजय सिहं एएसआई फिर भी मुझसे एक लाख रूपये ज्योती के नाम से मांग कर रहा है और तीस हजार उसके खर्चे के मांग रहा हैं। इस लिये हम कानूनी कार्यवाही चाहते है। क्योकी हम एएसआई श्री विजय सिहं को रिश्वत राशि नही देना चाहते है और श्री विजय सिहं एएसआई पर कानूनी कार्यवाही करवाना चाहते है। और एएसआई श्री विजय सिहं से कोइ आपसी रंजीश व दुश्मनी नही है । अतः मैं श्री विजय सिहं एएसआई को रिश्वत राशि के रूप में रूपये तीस हजार रूपये नही देना चाहता हुं तथा उनको रिश्वत राशि देते हुये रगें हाथो पकडवाना चाहता हुं । कानूनी कार्यवाही करावें" ।

दिनांक 10.09.2022

प्रार्थी	प्रार्थी
एस.डी./–	एस.डी./–
मो0 आजाद	सद्दाम हुसैन अंसारी

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 10.09.2022 को समय 02.15 पी.एम. पर परिवादी श्री मोहम्मद आजाद पुत्र श्री फरीद मोहम्मद उम्र 38 साल निवासी ग्राम सांगानेर जिला भीलवाडा एवं उसका मित्र श्री सद्दाम हुसैन अंसारी पुत्र श्री मोहम्मद हनिफ उम्र 29 वर्ष निवासी गुल अली नगरी जिला भीलवाडा ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ आया व श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरों चित्तौडगढ को लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि "उपरोक्त विषय में निवेदन है की मैं मोहम्मद आजाद मंसुरी मेरे दोस्त सदाम हुसैन अंसारी के साथ मिलकर एक मकान चपडासी कॉलोनी में शारदा चौराहा, ग्लोबल स्कूल के पास खरीदा था, उक्त मकान को मैनें पुनः श्रीमती ज्योती नायक को सात लाख पचास हजार रूपये में बेचा था, जिसकी एवज मे मैनें सई पेटे एक लाख रूपये प्राप्त किये थे, तथा शेष राशि सात माह में पट्टा देने के उपरान्त देना तय किया था । इस बाबत् हमारें दोनो के बिच लिखा–पढी भी हुई थी लेकिन पट्टा नही बनने से श्रीमती ज्योती द्वारा पुनः साई की राशि एक लाख रूपये मांगने का तकाजा किया जिस पर मैनें ज्योती को मेरे नाम का एक चेक रूपये एक लाख का बैंक ऑफ बडौदा ग्रामीण शाखा भीलवाडा का दिया था, जिस पर ज्योती ने मुझे चेक लगाने के लिये कहा था तो मैनें ज्योती को कहा के अभी मेरे खाते में पैसें नही है, मैं पैसे आते ही आपको बता दूंगा और आप चेक लगाकर आपके साई के पैसे एक लाख रूपये प्राप्त कर लेना । फिर भी ज्योती ने चेक को बैंक में लगाकर बाउन्स करा दिया और मुझे डराने–धमकाने लगी और पुलिस वालों से फोन लगाने लगी । जिस पर मुझे पुलिस थाना सुभाष नगर जिला भीलवाडा के श्री विजय सिंह ए.एस.आई द्वारा बार–बार फोन करके मुझे थाने पर बुलाया और मुझे कहा कि तेरे खिलाफ रिपोर्ट आई है और मुझे थाने की लॉकप में बन्द कर दिया जो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा , इस दरमियान मेने मेरे मित्र सदाम हुसैन अंसारी को बुलाया और एएसआई श्री विजय सिहं ने मुझ प्रार्थी को दबाव बना कर थाने में मुझ से खाली कागज में लिखवाया की ज्योती को एक लाख रूपये देने और एएसआई विजय सिहं ने यह भी लिखवाया की तीस हजार रूपये मेरे खर्चे के देने है। अन्यथा मुझसे बुरा कोई नही होगा अगर रकम नही चुकाई तो । फिर इस बिच मेने श्री ज्योती नायक को पच्चास हजार रूपये रोकड़ राम स्नेही हॉसपिटल में जाकर देखकर आया और पच्चास हजार रूपये और दे दुगां यह वादा किया लेकिन श्री विजय सिहं एएसआई फिर भी मुझसे एक लाख रूपये ज्योती के नाम से मांग कर रहा है और तीस हजार उसके खर्चे के मांग रहा हैं। इस लिये हम कानूनी कार्यवाही चाहते है। क्योकी हम एएसआई श्री विजय सिहं को रिश्वत राशि नही देना चाहते है और श्री विजय सिहं एएसआई पर कानूनी कार्यवाही करवाना चाहते है। और एएसआई श्री विजय सिहं से कोइ आपसी रंजीश व दुश्मनी नही है । अतः मैं श्री विजय सिहं एएसआई को रिश्वत राशि के रूप में रूपये तीस हजार रूपये नही देना चाहता हुं तथा उनको रिश्वत राशि देते हुये रगें हाथो पकडवाना चाहता हुं । कानूनी कार्यवाही करावें । इसके उपरान्त श्रीमान् पुलिस उप अधीक्षक प्रमेन्द्र कुमार द्वारा परिवादीगण श्री मोहम्मद आजाद एवं श्री सद्दाम हुसैन अंसारी निवासी गुल अली नगरी जिला भीलवाडा से उनकी ओर से पेश की गई लिखित रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए परिवादीगणों से आवश्यक पूछताछ की तो उक्त दोनो परिवादीगण ने उनके द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट की ताईद की एंव उक्त दोनो द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट एंव दरियाप्त से श्री विजय सिहं एएसआई पुलिस थाना सुभाष नगर जिला भीलवाडा द्वारा वैद्य कार्य करने के एवज में रिश्वत राशि कि मांग करना एवं लेना अन्तर्गत धारा 7,भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है अतः रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया जाकर कार्यवाही की जायेगी। **समय 03.00 पी.एम. पर** श्रीमान् पुलिस उप अधीक्षक प्रमेन्द्र कुमार द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मंगवाया जाकर जितेन्द्र सिह कानि0 का परिवादीगण से परिचय करवाया गया इसके पश्चात परिवादी श्री मोहम्मद आजाद व सहपरिवादी श्री सद्दाम हुसैन अंसारी को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चालु व बन्द करने की समझाईश की गई थी । इसी दौरान् परिवादी श्री मोहम्मद

आजाद ने बताया कि अभी 04–05 दिन तक घर के निजी कार्य में व्यस्त रहूंगा और जब भी श्री विजय सिंह ए.एस.आई द्वारा मुझे कॉल कर आने के सम्बन्ध में कहेगें तो मेरे द्वारा आपसे सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवा दिया जावेगा । इस पर श्रीमान् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादीगण को श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 के मोबाईल नम्बर दिलवाये जाकर श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 को निर्देश दिये गये कि परिवादीगणों के सम्पर्क में रह कर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही कर आरोपी की आम शोहरत बाबत् जानकारी भी हासिल कर मय परिवादीगणों के पुनः ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होवें। परिवादीगणों को भी इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाकर परिवादीगणों को रूखसत किया गया। इसके उपरान्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को पुनः ब्यूरो कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया ।

दिनांक 15.09.2022 को समय 06.10 पी.एम. पर श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक को श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 ने बताया कि परिवादीगण श्री मोहम्मद आजाद एवं श्री सद्दाम हुसैन अंसारी द्वारा मुझे बताया गया कि श्री विजय सिंह ए.एस.आई द्वारा हमें सूचना करवाई कि कल दिनांक 16.09.2022 को पुलिस थाना सुभाष नगर जिला भीलवाडा पर आकर मिलें । इसके उपरान्त परिवादीगणों के द्वारा मुझे यह भी बताया कि आप कल डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर लेकर आ जाना हमारें द्वारा दिनांक 16.09.2022 को श्री विजय सिंह ए.एस.आई से मिलकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवा दिया जावेगा । इस पर श्रीमान् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 को निर्देशित किया कि आप कल दिनांक 16.09.2022 को ब्यूरो कार्यालय से डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर भीलवाडा पहूंच परिवादीगणों से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करा पुनः ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित होवे ।

दिनांक 16.09.2022 को समय 08.00 ए.एम. पर श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 को ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर निकलवाया जाकर सुपुर्द कर वास्ते रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाकर भीलवाडा के लिये रवाना किया गया। **समय 06.00 पी.एम. पर** श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 मय डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर के कार्यालय में उपस्थित होकर डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर श्रीमान् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया की श्रीमान के निर्देशानुसार मैं ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के रवाना होकर भीलवाडा पहूंचा जहां पर रोडवेज बस स्टेण्ड के पास परिवादीगण श्री मोहम्मद आजाद एवं श्री सद्दाम हुसैन अंसारी उपस्थित मिलें जिस पर मेरे द्वारा परिवादीगणों को संदिग्ध श्री विजय सिंह ए.एस.आई से रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाने के सम्बन्ध में मिलने के सम्बन्ध में कहा तो परिवादी श्री मोहम्मद आजाद ने अपने मोबाईल फोन नम्बर 8619799141 से संदिग्ध श्री विजय सिंह ए.एस.आई के मोबाईल नम्बर 9588085229 पर समय करीब 12.02 पीएम पर कॉल किया तथा मोबाईल पर रिंग जाने पर परिवादी श्री मोहम्मद आजाद के मोबाईल फोन का लाउड स्पीकर ऑन करवा वार्ता करवाई गई तथा उक्त वार्ता कों ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड की गई । उक्त मोबाईल पर हुई वार्ता मे श्री संदिग्ध श्री विजय सिंह ए.एस.आई ने परिवादी श्री मोहम्मद आजाद को बताया कि अभी मैं एम.जी.एच. चौकी भीलवाडा पर हूं, तु यही पर आजा । इसके उपरान्त मैं तथा परिवादीगण उनकी निजी मोटर साईकिल से रवाना होकर एम.जी.एच. चौकी भीलवाडा से कुछ पहले रूके जिस पर परिवादी श्री मोहम्मद आजाद ने मुझे बताया कि यदि मैं संदिग्ध श्री विजय सिंह ए.एस.आई के पास जाउंगा तो वो मुझे बैठा लेगा और थाने में बन्द कर देगा तथा श्री सद्दाम हुसैन अंसारी सहपरिवादी को संदिग्ध श्री विजय सिंह ए.एस.आई भी जानता है और वो श्री सद्दाम हुसैन अंसारी से रिश्वत राशि की मांग कर लेगा जिस पर परिवादी श्री मोहम्मद आजाद के द्वारा बताई गई बात के सम्बन्ध में श्री सद्दाम हुसैन अंसारी सहपरिवादी के द्वारा भी उपस्थित रहने व मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने पर सहमति प्रदान की गई थी । इसके उपरान्त मेरे द्वारा सहपरिवादी श्री सद्दाम हुसैन अंसारी को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर के संचालन के सम्बन्ध में समझाईश करने के पश्चात् डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर चालू कर सहपरिवादी श्री सद्दाम हुसैन को सुपुर्द कर

सहपरिवादी श्री सद्दाम हुसैन को मोटर साईकिल से एम.जी.एच. चौकी भीलवाडा के लिये रवाना कर मैं तथा परिवादी श्री मोहम्मद आजाद उसके पीछे–पीछे चलते हुए एम.जी.एच. चौकी भीलवाडा के पास ही अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए सहपरिवादी श्री सद्दाम हुसैन अंसारी के आने के इन्तजार में मुकीम रहे । इसके पश्चात् कुछ समय बाद सहपरिवादी श्री सद्दाम हुसैन अंसारी हमारें पास मुकीम स्थल पर उपस्थित आया और सहपरिवादी श्री सद्दाम हुसैन अंसारी ने मुझे डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसे मैनें बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था । इसके पश्चात् सहपरिवादी श्री सद्दाम हुसैन अंसारी ने बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर एम.जी.एच. चौकी भीलवाडा पहूंचा जहां पर संदिग्ध श्री विजय सिंह ए.एस.आई उपस्थित मिला जिससे मैनें मेरे दोस्त श्री मोहम्मद आजाद के सम्बन्ध में पुलिस थाना सुभाषनगर में श्रीमती ज्योती के द्वारा दी गई रिपोर्ट के सम्बन्ध में वार्ता की तो संदिग्ध श्री विजय सिंह ए.एस.आई ने मुझे कहा कि तुम मुझसे बार–बार मिलते हो और खाली हाथ ही मिलते हो जो राशि पहले तय हुई थी उस राशि का क्या हुआ जिस पर मैनें श्री विजय सिंह ए.एस.आई को कहा कि आपके द्वारा पहले 30 तीस हजार रूपये की राशि तय की गई थी जिस पर मेरे द्वारा श्री विजय सिंह ए.एस.आई को कहा गया कि उक्त तय की गई राशि बहुत ज्यादा है जिस पर श्री विजय सिंह ए.एस.आई ने कहा कि जो राशि तय हुई है वो ही राशि लूंगा । इसके उपरान्त श्री विजय सिंह ए.एस.आई को कहा गया कि हम ज्योती का मामला थाने के बाहर ही लिखा–पढी करके निबटा देगें तो श्री विजय सिंह ए.एस.आई द्वारा मुझे कहा गया कि तुम थाने के बाहर मामलें को कैसे निबटा दोगे, मैं लिखा–पढी करवाऊगा और ज्योती को रूपये देने से पहले मेरे खर्चे–पानी के 30 हजार रूपये दोगें उसके बाद ही ज्योती का मामला निपटेगा । श्री विजय सिंह ए.एस.आई द्वारा मुझे यह भी कहा कि अब जब भी मेरे पास आओं तो खाली हाथ मत आना कुछ राशि लेकर आना। इसके उपरान्त आपके द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में मेरे द्वारा परिवादीगणों को आरोपी श्री विजय सिंह ए.एस.आई को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था शीघ्र कर अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित होने की हिदायत के साथ रवाना किया गया एंव मैं भीलवाडा से बाद सत्यापन कार्यवाही उपस्थित कार्यालय आया। इसके उपरान्त मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चालुकर सुना गया तो परिवादी श्री मोहम्मद आजाद एवं श्री विजय सिंह ए.एस.आई के मध्य हुई मोबाईल वार्ता एवं उसके उपरान्त श्री विजय सिंह ए.एस.आई एवं सहपरिवादी श्री सद्दाम हुसैन अंसारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद होने के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन होने की पुष्ठि होना पाया गया । इसके उपरान्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया । ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर परिवादीगण श्री मोहम्मद आजाद एवं श्री सद्दाम हुसैन अंसारी के उपस्थित आने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी । **समय 07.00 पी.एम. पर** श्रीमान् पुलिस उप अधीक्षक ने अपने कक्ष में श्री दया लाल चौहान पुलिस निरीक्षक को बुलाकर कार्यवाही के सम्पूर्ण हालात से अवगत कराते हुये बताया कि उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवा लिया गया है, जिस पर मेरे द्वारा अब तक की गई कार्यवाही से सम्बन्धित रनिंग नोट, तहरीर एवं डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर सुपुर्द करते हुए आदेशित किया कि परिवादीगण श्री मोहम्मद आजाद एवं श्री सद्दाम हुसैन अंसारी से सम्पर्क कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु निर्देशित किया ।

समय 07.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक दया लाल चौहान को श्रीमान् पुलिस उप अधीक्षक से उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित रनिंग नोट, परिवादीगण कि लिखित रिपोर्ट, डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर उक्त रनिंग नोट एवं परिवादीगण के प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर शामील कार्यवाही किया गया । डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चालुकर सुना गया तो रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन होना पाया

गया । डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर एवं पत्रावली को कार्यालय में सुरक्षित रखा गया । आईन्दा परिवादीगण के आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

दिनांक 22.09.2022 को समय 06.30 पी.एम. पर श्री श्याम लाल कानि0 भ्रनिब्यूरों से श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौडगढ से जरिये तहरीर दो स्वतन्त्र गवाहान (1) श्री कमलेश सहलोत पुत्र श्री हेरी लाल सहलोत उम्र 42 साल निवासी गायत्री स्कूल के पास, सोमनगर विस्तार, मधुवन, सैंती जिला चित्तौडगढ हाल सहायक विकास अधिकारी, कार्यालय जिला परिषद चित्तौडगढ एवं (2) श्री मनमोहन शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा उम्र 29 साल निवासी मकान नम्बर 01–ए–16, गांधीनगर, हाउसिंग बोर्ड, सेक्टर नम्बर 04, जिला चित्तौडगढ हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला परिषद चित्तौडगढ से कार्यालय हाजा में उपस्थित आये जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया एव कुछ समय पश्चात परिवादीगण श्री मोहम्मद आजाद एवं श्री सद्दाम हुसैन अंसारी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये जिस पर परिवादीगण का स्वतन्त्र गवाहन से परिचय करवाया गया दिनांक 10.09.2022 को दिये गयी लिखित रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया व दिखाया गया जिस पर दोनो परिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि उक्त प्रार्थना पर हम दोनो के द्वारा किये गये हस्ताक्षर अंकित है जो सही है । इसके उपरान्त स्वतन्त्र गवाहन को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर चालुकर सुनाया गया तो दोनो परिवादीगण ने बताया उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता की ताईद की । परिवादीगण ने बताया कि आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था हो गई है लेकिन सूर्यास्त हो जाने एंव कार्यवही अन्य जिले में होने से परिवादीगण एंव स्वतन्त्र गवाहन को बाद हिदायत के रूखसत करते हुयें परिवादीगण को दिंनाक 23.09.2022 को प्रात 07.00 एएम पर रिश्वत राशि के साथ कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबदं कर रवाना किया गया।

दिनांक 23.09.2022 को समय 07.00 ए.एम. पर परिवादीगण श्री मोहम्मद आजाद एवं श्री सद्दाम हुसैन अंसारी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया कुछ समय बाद स्वतन्त्र गवाहन(1) श्री कमलेश सहलोत पुत्र श्री हेरी लाल सहलोत उम्र 42 साल निवासी गायत्री स्कूल के पास, सोमनगर विस्तार, मधुवन, सैंती जिला चित्तौडगढ हाल सहायक विकास अधिकारी, कार्यालय जिला परिषद चित्तौडगढ एवं (2) श्री मनमोहन शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा उम्र 29 साल निवासी मकान नम्बर 01–ए–16, गांधीनगर, हाउसिंग बोर्ड, सेक्टर नम्बर 04, जिला चित्तौडगढ हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला परिषद चित्तौडगढ कार्यालय में उपस्थित आये । **समय 07.30 ए.एम. पर** मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 16.09.2022 को हुई परिवादी श्री मोहम्मद आजाद एवं श्री विजय सिंह ए.एस.आई पुलिस थाना सुभाष नगर जिला भीलवाडा के मध्य हुई मांग सत्यापन के सम्बध में हुई मोबाईल वार्ता को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर चालु करवाकर दोनों स्वतन्त्र गवाहान को सुनाई गई मोबाईल पर हुई उक्त रिकॉर्ड शुदा वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से ही उक्त वार्ता की मूल एवं डब सी.डी. कम्प्यूटर से तैयार करवाई जाकर मूल सी.डी. पर दोनों गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर सी.डी. को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिलचिट किया जाकर कपडे की थैली पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा डब सी.डी. पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर रखी गई। दोनों मूल एवं डब सी.डी. को सुरक्षित मालखाने में रखा गया। इसके साथ ही मन् पुलिस निरीक्षक को दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मोहम्मद आजाद ने बताया कि उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में मोबाईल पर हुई वार्ता में एक आवाज मेरी व दूसरी आवाज श्री विजय सिंह ए.एस.आई पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाडा की है। **समय 07.45 ए.एम. पर** मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 16.09.2022 को हुई सहपरिवादी श्री सदाम हुसेन असांरी एवं श्री विजय सिंह ए.एस.आई पुलिस थाना सुभाष नगर जिला भीलवाडा के

मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर चालु करवाकर दोनों स्वतन्त्र गवाहान को सुनाई गई उक्त रिकॉर्ड शुदा मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से ही उक्त वार्ता की मूल एवं डब सी.डी. कम्प्यूटर से तैयार करवाई जाकर मूल सी.डी. पर दोनों गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर सी.डी. को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिलचिट किया जाकर कपडे की थैली पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा डब सी.डी. पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर रखी गई। दोनों मूल एवं डब सी.डी. को सुरक्षित मालखाने में रखा गया। इसके साथ ही मन् पुलिस निरीक्षक को दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष सहपरिवादी सदाम हुसेन अंसारी ने बताया कि उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में हुई वार्ता में एक आवाज मेरी व दूसरी आवाज श्री विजय सिंह ए.एस.आई पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाडा की है। **समय 08.40 ए.एम. पर** स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक दया लाल चौहान द्वारा परिवादी श्री मोहम्मद आजाद को संदिग्ध श्री विजय सिंह ए.एस.आई पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाडा को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री मोहम्मद आजाद ने अपने पास से 500–500 रूपये के 20 नोट कुल 10000/– रूपये के करेन्सी नोट पेश किये । उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है : –

1	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	**1 SV 983822**
2	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	**6 AP 325272**
3	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	**1 TS 915459**
4	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	**2 GQ 250961**
5	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	**2 AA 374567**
6	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	**8 QU 673212**
7	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	**7 PM 093522**
8	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	**1 SK 363815**
9	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	**1 CG 632296**
10	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	**8 CF 508326**
11	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	**8 PR 365184**
15	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	**6 PR 709557**
13	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	**2 TV 617741**
14	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	**1 NQ 536733**
15	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	**8 PK 738512**
16	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	**0 FV 331202**
17	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	**2 NF 241003**
18	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	**5 EK 313664**
19	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	**0 TQ 107931**
20	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	**6 EH 217928**

परिवादी श्री मोहम्मद आजाद द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्रीमती आशा महिला कानि0 नम्बर 105 से ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर नोटों को सहपरिवादी श्री सद्दाम हुसैन अंसारी की पहनी हुई पेन्ट के

आगे की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये । इसके अतिरिक्त परिवादी श्री मोहम्मद आजाद के मित्र श्री सद्दाम हुसैन अंसारी के पास अन्य कोई शैः नही छोडी गई । श्री श्याम लाल हैड कानि0 हैड 105 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा । इस रंगहीन घोल में श्रीमती आशा महिला कानि0 नम्बर 105 की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया । इस प्रकार परिवादीगण तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि संदिग्ध द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्रीमती आशा महिला कानि0 नम्बर 105 से बाहर फिकवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी पुनः सुरक्षित मालखाने मे रखवाई गई तथा उपरोक्त कांच के गिलास एवं श्रीमती आशा महिला कानि0 के हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये । सहपरिवादी श्री सद्दाम हुसैन अंसारी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए । यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। सहपरिवादी श्री सद्दाम हुसैन अंसारी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फैरकर/मिस कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करे। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया । श्री श्याम लाल हैड कानि0 हैड नम्बर 105 से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवादीगण एवं स्टाफ का आपस मे परिचय करवाया गया । तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी श्री सद्दाम हुसैन अंसारी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं सहपरिवादी श्री सद्दाम हुसैन अंसारी को डिजिटल टेप रिकार्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन–देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को टेप करें। परिवादीगण, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये । उपरोक्त कार्यवाही की फर्द तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । श्रीमती आशा महिला कानि0 नम्बर 105 को ब्यूरो कार्यालय में छोडा गया । **समय 09.30 ए.एम. पर** मन् पुलिस निरीक्षक दया लाल चौहान मय स्वतन्त्र गवाह श्री कमलेश सहलोत, श्री मनमोहन शर्माएंव परिवादीगण श्री मोहम्मद आजाद सहपरिवादी श्री सद्दाम हुसैन अंसारी व ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री श्याम लाल हैड कानि0, श्री खालिद हुसेन कानि0, श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 एवं श्री मान सिंह कानि0 मय लेपटोप व प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स के जरिये प्राईवेट वाहन नम्बर टवेरा आर.जे. 27. टी.ए. 6727 चालक श्री श्याम सिहं के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना बजानिब भीलवाडा हुए। **समय 10.30 ए.एम. पर** मन् पुलिस निरीक्षक दया लाल चौहान मय स्वतन्त्र गवाह श्री कमलेश सहलोत, श्री मनमोहन शर्माएंव परिवादीगण श्री मोहम्मद आजाद सहपरिवादी श्री सद्दाम हुसैन अंसारी व ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री श्याम लाल हैड कानि0,श्री खालिद हुसेन कानि0, श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 एवं श्री मान सिंह कानि0 मय लेपटोप व प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स के जरिये प्राईवेट वाहन नम्बर टवेरा आर.जे. 27. टी.ए. 6727 चालक श्री श्याम सिहं के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना शूदा भीलवाडा पंहुचे मुकिम रहे।

समय 11.35 ए.एम. पर दर्ज रहे की समय 11.00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक दया लाल चौहान मय स्वतन्त्र गवाह श्री कमलेश सहलोत, श्री मनमोहन शर्माएंव परिवादीगण श्री मोहम्मद आजाद सहपरिवादी श्री सद्दाम हुसैन अंसारी व ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री श्याम लाल हैड कानि0,श्री खालिद हुसेन कानि0, श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 एवं श्री मान सिंह कानि0 मय लेपटोप व प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स के जरिये प्राईवेट वाहन नम्बर टवेरा आर.जे. 27. टीए. 6727 के उपरोक्त रवाना शुद्वा भीलवाडा बस स्टेण्ड के पास गाडी पंहुच परिवादी श्री मोहम्मद आजाद के मोबाईल नम्बर 8619799141 से आरोपी श्री विजय सिहं एएसआई के मोबाईल नम्बर 9588085229 पर समय करिब 11.18 एम पर वार्ता कराई तो आरोपी ने परिवादी को बताया की मैं सुभाष नगर थाना तू कहां है जिस पर परिवादी ने बताया की मैं अभी साईड पर काम कर रहा हूं मैं सदाम को भेज रहा हूं जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने श्री जितेन्द्र सिहं कानि0 को सहपरिवादी श्री सदाम हुसेन के साथ प्राईवेट मोटरसाईकिल से थाना सुभाष नगर की और हिदायत देकर रवाना किया पिछे पिछे मन पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी मय प्राईवेट वाहन टावेरा के थाना सुभाष नगर की और रवाना होकर सुभाष नगर थाने के पास प्राईवेट बस स्टेण्ड पर गाडी रोक कर सहपरिवादी श्री सदाम हुसैन को टेप रिकार्डर चालू कर बाद हिदायत के आरोपी श्री विजय सिहं एएसआई से रिश्वत लेन देन के लिये रवाना किया व आरोपी के ईशारे का ईन्तजार करते हये छुपाव हासिल करते हुये मुकिम रहे। **समय 12.05 पी.एम. पर** दर्ज रहे की समय 11.49 एएम पर सहपरिवादी श्री सदाम हुसेन असांरी ने अपने मोबाईल नम्बर 8502049344 से ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री खालिद कानि0 को उसके मोबाईल नम्बर 9461467230 पर मिस कॉल करके परिवादी से रिश्वत राशि दस हजार ग्रहण करने के पश्चात निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय गवाहन श्री कमलेश सहलोत व श्री मनमोहन शर्मा मय ब्यूरें टीम सदस्य श्री श्याम लाल हैड कानि0 श्री मान सिहं कानि0, श्री जितेन्द्र कानि0 श्री खालिद हुसैन कानि0 मय परिवादी श्री मोहम्मद आजाद के थाना परिसर में तेज तेज कदमो से प्रवेश किया तो आरोपी श्री विजय सिहं एएसआई रिश्वत राशि दस हजार के साथ ब्यूरों टीम की भनक लगने से फरार हो गया ब्यूरों टीम के सदस्य श्री श्याम लाल हैड कानि0 ने बताया की बावर्दी एएसआई थाने परिसर के पिछे वाले गेट से दोडता हुआ भाग गया जब इस बारे में सहपरिवादी श्री सदाम हुसैन असांरी से पुछा तो उसने भी बताया की श्री विजय सिहं एएसआई साहब वर्दी में होकर मेरे पिछे पिछे थाने के गेट पर आये और आपको आते देख यंहा से थाने के पिछे की और भागे जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने मय ब्यूरें टीम मय गवाहन के आरोपी श्री विजय सिहं का थाना परिसर व आस पास तलाश की और आरोपी के सम्भावित भागने की जगह पर तलाश की लेकिन आरोपी श्री विजय सिहं को ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने से फरार हो गया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने थाना अधिकारी को अपना व टीम का परिचय देते हुये श्री विजय सिहं एएसआई के बारे में पुछा तो थानाअधिकारी ने बताया की श्री विजय सिहं एएसआई से सम्पर्क किया तो श्री विजय सिहं एएसआई का मोबाईल स्वीच ऑफ है थाने पर थाना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाप्ते एंव मन पुलिस निरीक्षक ने ब्यूरों टीम के साथ मय गवाहन के आरोपी श्री विजय सिहं एएसआई की सभी सम्भावित स्थानो पर तलाशी करते हुये दबीश दी गई किन्तु आरोपी श्री विजय सिहं एएसआई का कंही कोई सूराग नही लगा। इस सम्बध में मन् पुलिस निरीक्षक ने जरिये मोबाईल श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक एंव श्रीमान् उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरों उदयपुर रेंज उदयपुर को सम्पूर्ण हालात अर्ज किये और निवेदन किया की आरोपी श्री विजय सिहं एएसआई ने सहपरिवादी श्री सदाम हुसैन अंसारी से रिश्वत राशि दस हजार रूपये ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट कि जेब में रख लिये और रिश्वत राशि के साथ टीम को आते देख फरार हो गया । **समय 05.30 पी.एम.** दर्ज रहे की समय 12.40 पीएम पर थाना अधिकारी द्वारा उपलब्ध जाप्ते मन पुलिस निरीक्षक ने मय ब्यूरों टीम मय गवाहन के आरोपी श्री विजय सिहं एएसआई की थाना परिसर व आस पास आरोपी श्री विजय सिहं एएसआई के सम्भावित भागने की जगह पर तलाश के बावजूद भी आरोपी

श्री विजय सिहं एएसआई नही मिला जिस पर मन पुलिस निरीक्षक भीलवाडा शहर में सभावित स्थान पर तलाशी करता हुआ आरोपी श्री विजय सिहं एएसआई के निवास स्थान 6 एल 29 पटेल नगर पार्क के सामने भीलवाडा पहुच कर समय 3.30 पीएम से आरोपी श्री विजय सिहं एएसआई के निवास स्थान की उसके परिवाजन श्रीमती सीमा यादव पत्नि , उसके पुत्र श्री हेमन्त यादव व उसकी पुत्री मनीषा यादव की मोजूदगी में स्वतन्त्र गवाहन के समक्ष अपना व ब्यूरों टीम का परिचय देते हुये नियमानुसार .खाना तलाशी की कार्यवाही प्रारम्भ की गई उक्त खाना तलाशी फर्द प्रथक से मुर्तिब की गई। बाद खाना तलाशी आरोपी श्री विजय सिहं एएसआई के सम्भावित स्थान पर तलाश करता हुआ थाने पंहुचा। **समय 06.00 पी.एम.** दर्ज रहे की समय 05.50 पीएम पर पुलिस थाना सुभाष नगर पर थाना अधिकारी को आरोपी श्री विजय सिहं एएसआई के सम्बध में रपट दर्ज कराई की जो इस प्रकार है दर्ज रहे कि सहपरिवादी श्री सदाम हुसैन अंसारी को समय 11.35 एएम पर आरोपी श्री विजय सिहं एएसआई की मांग अनुसार फिनोफ्थलीन लगी रिश्वत राशि दस हजार देने हेतु रवाना किया गया था जिसने 11.49 एएम पर उसके मोबाईल नम्बर 8502049344 से ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री खालिद कानि0 को उसके मोबाईल नम्बर 9461467230 पर मिस कॉल करके परिवादी से रिश्वत राशि दस हजार ग्रहण करने के पश्चात निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय गवाहन श्री कमलेश सहलोत व श्री मनमोहन शर्मा मय ब्यूरों टीम सदस्य श्री श्याम लाल हैड कानि0 श्री मान सिहं कानि0, श्री जितेन्द्र कानि0 श्री खालिद हुसैन कानि0 मय परिवादी श्री मोहम्मंद आजाद के थाना परिसर में तेज तेज कदमो से प्रवेश किया तो आरोपी श्री विजय सिहं एएसआई रिश्वत राशि दस हजार के साथ ब्यूरों टीम की भनक लगने से फरार हो गया ब्यूरों टीम के सदस्य श्री श्याम लाल हैड कानि0 ने बताया की बावर्दी एएसआई थाने परिसर के पिछे वाले गेट से दोडता हुआ भाग गया जब इस बारे में सहपरिवादी श्री सदाम हुसैन असांरी से पुछा तो उसने भी बताया की श्री विजय सिहं एएसआई साहब वर्दी में होकर मेरे पिछे पिछे थाने के गेट पर आये और आपको आते देख यंहा से थाने के पिछे की और भागे जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने मय ब्यूरों टीम मय गवाहन के आरोपी श्री विजय सिहं का थाना परिसर व आस पास तलाश की और आरोपी के सम्भावित भागने की जगह पर तलाश की लेकिन आरोपी श्री विजय सिहं को ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने से फरार हो गया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने थाना अधिकारी को अपना व टीम का परिचय देते हुये श्री विजय सिहं एएसआई के बारे में पुछा तो थानाअधिकारी ने बताया की श्री विजय सिहं एएसआई से सम्पर्क किया तो श्री विजय सिहं एएसआई का मोबाईल स्वीच ऑफ है थाने पर थाना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाप्ते एंव मन पुलिस निरीक्षक ने ब्यूरों टीम के साथ मय गवाहन के आरोपी श्री विजय सिहं एएसआई की सभी सम्भावित स्थानो पर तलाशी करते हुये दबीश दी गई किन्तु आरोपी श्री विजय सिहं एएसआई का कंही कोई सूराग नही लगा। इस सम्बध में मन् पुलिस निरीक्षक ने जरिये मोबाईल श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक एंव श्रीमान् उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरों उदयपुर रेंज उदयपुर को सम्पूर्ण हालात अर्ज किये और निवेदन किया की आरोपी श्री विजय सिहं एएसआई ने सहपरिवादी श्री सदाम हुसैन अंसारी से रिश्वत राशि दस हजार रूपये ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट कि जेब में रख लिये और रिश्वत राशि के साथ टीम को आते देख फरार हो गया । इस सम्बध में श्रीमान थाना अधिकारी को श्री विजय सिहं एएसआई की तलाश कराने बाबत् तेहरिर दी गई और श्री विजय सिहं एएसआई द्वारा परिवादी श्री मोहम्मद आजाद के विरूद्व दर्ज परिवाद/प्रकरण की प्रमाणित प्रतिया दिलाने हेतु तेहरिर दी गई इस सम्बध में श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस एंव श्रीमान् उप महानिरीक्षक पुलिस महोदय भ्रनिब्यूरों उदयपुर रेंज उदयपुर को हालात निवेदन किये गये। रपट की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर शामिल कार्यवही की गई। **समय 06.30 पीएम पर** आरोपी श्री विजय सिहं एएसआई का सेवा विवरण श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला भीलवाडा के कार्यालय से जरिये विशेष वाहक श्री श्याम लाल हैड कानि0 से प्राप्त हुआ जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया

गया। आरोपी श्री विजय सिहं एएसआई द्वारा परिवादी श्री मोहम्मद आजाद के विरूद्व दर्ज प्रकरण संख्या 234/2022 धारा 406,420 भादस की एफआईआर व सीडी नम्बर 01 की प्रमाणित प्रतिया व परिवाद कमाक संख्या 230 की प्रमाणित प्रति जरिये विशेष वाहक श्री खालिद हुसैन कानि0 से प्राप्त हुआ जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया ।

समय 07.05 पी.एम. पर दर्ज रहे की मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा दिंनाक 23.09.2022 को समय करिब 11.18 एएम पर परिवादी श्री मोहम्मद आजाद एवं श्री विजय सिंह ए.एस.आई पुलिस थाना सुभाष नगर जिला भीलवाडा के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन देन के सम्बध में हुई मोबाईल वार्ता को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर चालु करवाकर दोनों स्वतन्त्र गवाहान को सुनाई गई मोबाईल पर हुई उक्त रिकॉर्ड शुदा वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से ही उक्त वार्ता की मूल एवं डब सी.डी. कम्प्यूटर से तैयार करवाई जाकर मूल सी.डी. पर दोनों गवाहान व परिवादीगण के हस्ताक्षर करवाकर सी.डी. को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिलचिट किया जाकर कपडे की थैली पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा डब सी.डी. पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरों लि गई । इसके साथ ही मन् पुलिस निरीक्षक को दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मोहम्मद आजाद ने बताया कि उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में मोबाईल पर हुई वार्ता में एक आवाज मेरी व दूसरी आवाज श्री विजय सिंह ए.एस.आई पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाडा की है। **समय 07.25 पीएम पर** दर्ज रहे की मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 23.09.2022 को हुई सहपरिवादी श्री सदाम हुसेन असांरी एवं श्री विजय सिंह ए.एस.आई पुलिस थाना सुभाष नगर जिला भीलवाडा के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन देन वार्ता को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर चालु करवाकर दोनों स्वतन्त्र गवाहान को सुनाई गई उक्त रिकॉर्ड शुदा रिश्वत राशि लेन देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से ही उक्त वार्ता की मूल एवं डब सी.डी. कम्प्यूटर से तैयार करवाई जाकर मूल सी.डी. पर दोनों गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर सी.डी. को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिलचिट किया जाकर कपडे की थैली पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा डब सी.डी. पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर रखी गई। दोनों मूल एवं डब सी.डी. को ब्यूरों कब्जे लिया गया। इसके साथ ही मन् पुलिस निरीक्षक को दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष सहपरिवादी सदाम हुसेन अंसारी ने बताया कि उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में हुई वार्ता में एक आवाज मेरी व दूसरी आवाज श्री विजय सिंह ए.एस.आई पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाडा की है। **समय 07.55 पीएम पर** दर्ज रहे की समय 05.50 पीएम पर पुलिस थाना सुभाष नग़र पर थाना अधिकारी ने आरोपी श्री विजय सिहं एएसआई के सम्बध में रपट दर्ज कराई की जो इस प्रकार है की इमरोज थाना हाजा पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों चौकी चित्तौडगढ से श्री दया लाल चौहान पुनि व उनि की टीम द्वारा थाना हाजा पर श्री विजय सिहं सउनि थाना सुभाष नगर के विरूद्व ट्रेप कार्यवाही हेतु रेड दी गई श्री विजय सिहं सउनि के थाना हाजा पर नही होने से उनकी तलाश हेतु श्री दया लाल चौहान पुनि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों चित्तौडगढ द्वारा तेहरिर दि गई जिस पर श्री विजय सिहं सउनि के मोबाईल नम्बर पर फोन किया गया तो मोबाईल स्वीच ऑफ पाया गया सउनि विजय सिहं के पदस्थापन स्थान चौकी कस्बा सांगानेर थाना सुभाष नगर भीलवाडा व उनके निवास स्थान पर भी तलाश करवाई गई जो उप. नही मिले सउनि विजय सिहं की गैर हाजरी अकिंत की जाती है हालात उच्च अधिकारीयों को निवेदन किये गये। रपट की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर शामिल कार्यवाही की गई।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से एवं अब तक की ट्रेप कार्यवाही से तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एंव रिश्वत राशि लेन देन वार्ता से यह पाया गया है कि आरोपी श्री विजय सिहं पुत्र श्री दोलत राम जाति यादव उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम खोहरा मलावती थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य परिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री मोहम्मद आजाद पुत्र श्री फरीद मोहम्मद उम्र 38 साल निवासी ग्राम सांगानेर जिला भीलवाडा के विरूद्व पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाडा पर श्रीमती ज्योती नायक द्वारा दी गई रिपोर्ट पर श्री विजय सिंह ए.एस.आई पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाडा द्वारा कोई कार्यवाही नही करने तथा परिवादी को परेशान नही करने तथा श्रीमती ज्योती नायक के मामलें को रफा दफा करने की एवज में दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 16.09.2022 को स्वयं के खर्चे पानी के लिये 30 हजार रूपये की मांग करने पर दिनांक 23.09.2022 को नियमानुसार ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर परिवादी श्री मोहम्मद आजाद के साथ आये सह– परिवादी श्री सद्दाम हुसैन को 10000 रूपये की रिश्वत राशि लेकर श्री विजय सिंह ए.एस.आई पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाडा को देने हेतु भेजा गया जिस पर आरोपी श्री विजय सिंह ए.एस.आई द्वारा 10000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की और आरोपी को ट्रेप कार्यवाही के दौरान ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने से थाना परिसर के पीछे के गेट से मय रिश्वत राशि 10,000 रूपये के फरार हो जाने से आरोपी श्री विजय सिहं एएसआई द्वारा कारित उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, पी.सी.एक्ट (संशोधन) 2018 का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री विजय सिंह पुत्र श्री दौलतराम यादव जाति यादव उम्र 47 साल निवासी ग्राम खोहरा, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर हाल ए.एस.आई पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाडा के विरूद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(दया लाल चौहान)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
चत्तौडगढ

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री दया लाल चौहान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री विजय सिंह पुत्र श्री दौलतराम यादव, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 382/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

24.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 3314-18 दिनांक 24.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाड़ा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।

24.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।